संख्या : 15/2015/437/छप्पन-15-40/2014

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नागरिक उड्डयन,

उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2015

विषय :रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित हेलीपैड व अतिथि गृह एवं वहां कार्यरत स्टाफ को नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या- 572/ना0उ0/2014, दिनांक 15-9-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित हेलीपैड, अतिथिगृह एवं वहां कार्यरत स्टाफ को नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरण करने के सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त नागरिक उड्डयन विभाग की आवश्यकताओं और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए सीमित उपयोगिता के दृष्टिगत रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ स्थित ग्राउण्ड सहित हेलीपैड, अतिथिगृह, इन्वेन्ट्री और इनके रख-रखाव के लिए तैनात/कार्यरत पदधारकों को नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय इस शर्त के अधीन लिया गया है कि पद धारकों का हस्तान्तरण इस प्रकार किया जायेगा कि वे सेवा/अधिष्ठान विषयक मामलों में अपने मूल विभाग (स्मारक समिति) के नियंत्रणाधीन बने रहेंगे और अपने पद सम्बन्धी कार्य निष्पादन के विषय में वे नागरिक उड्डयन विभाग के नियंत्रणाधीन होंगे।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- हेलीपैड, मैदान और अतिथिगृह का रख-रखाव और अन्य आनुषंगिक कार्यों का सम्पादन पूर्व की भॉति राज्य सम्पत्ति विभाग/लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता रहेगा और इस सम्बन्ध में अनुबन्ध या अन्य जो भी कार्यवाही अपेक्षित हो, कृपया सम्बन्धित विभागों से समन्वय करके सम्पादित कराने का कष्ट करें। इस विषय में यदि कोई अड़चन/बाधा आती है तो सम्बन्धित विभागों से समन्वय करके आपके स्तर से समस्या का समाधान कर लिया जायेगा और आवश्यकता होने पर आपके द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराकर निर्णय कराया जायेगा।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक - यथोक्त।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 15/2015/437(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/गृह/लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in